



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20102022-239773
CG-DL-E-20102022-239773

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 529]
No. 529]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 19, 2022/आश्विन 27, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 2022/ASVINA 27, 1944

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2022

फा. सं. क्यूए-12012/6/2021-आरएआरडी-एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्, -

तालिका में,-

1. पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित 'ख' में,

(1) महाराष्ट्र के नीचे, कॉलम (1) में, क्रम संख्या 26 और कॉलमों (2) और (3) में उससे सम्बंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

2. दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित 'ग' में,

(1) आंध्र प्रदेश के नीचे, कॉलम (1) में, क्रम संख्या 6 और कॉलमों (2) और (3) में उससे सम्बंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

एस गोपालकृष्णन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./348/2022-23]

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन की गई:-

1. का.आ. संख्या 567 (अ), दिनांक 20 फरवरी, 2017;
2. का.आ. संख्या 1595 (अ), दिनांक 15 मई, 2017;
3. का.आ. संख्या 1965 (अ), दिनांक 20 जून, 2017;
4. का.आ. संख्या 2316 (ई), दिनांक 24 जुलाई, 2017;
5. का.आ. संख्या 3068 (अ), दिनांक 14 सितंबर, 2017;
6. का.आ. संख्या 3279 (अ), दिनांक 29 सितंबर, 2017;
7. का.आ. संख्या 4083 (अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2017;
8. का.आ. संख्या 848 (अ), दिनांक 19 फरवरी, 2018;
9. का.आ. संख्या 1516 (अ), दिनांक 28 मार्च, 2018;
10. का.आ. संख्या 2426 (अ), दिनांक 13 जून, 2018;
11. का.आ. संख्या 6207 (अ), दिनांक 12 दिसम्बर, 2018;
12. का.आ. संख्या 1377 (अ), दिनांक 08 मार्च, 2019;
13. का.आ. संख्या 1722 (अ), दिनांक 08 मई, 2019;
14. का.आ. संख्या 2842 (अ), दिनांक 06 अगस्त, 2019;
15. का.आ. संख्या 3428 (अ), दिनांक 18 सितम्बर, 2019;
16. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 13 फरवरी, 2020;
17. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 23 जुलाई, 2020;
18. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 04 दिसम्बर, 2020;
19. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 12 जनवरी, 2021;
20. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 फरवरी, 2021;
21. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 मार्च, 2021;
22. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 02 जून, 2021;
23. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 25 जून, 2021;

24. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 02 सितंबर, 2021;
25. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 08 अक्टूबर, 2021;
26. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 27 अक्टूबर, 2021;
27. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 31 जनवरी, 2022;
28. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 24 मार्च, 2022;
29. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 29 अप्रैल, 2022;
30. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 31 मई, 2022;
31. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 07 जुलाई, 2022;
32. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 29 जुलाई, 2022;
33. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 13 सितंबर, 2022; और
34. फा.सं. क्यूए-12012/6/2021-आरएआरडी-एफएसएसएआई (भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 11 अक्टूबर, 2022।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2022

F. No. QA-12012/6/2021-RARD-FSSAI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendments in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely: -

In the table,

1. In 'B' related to WESTERN REGION,

- (1) under **Maharashtra**, at serial number 26, in column (1) & respective entries in columns (2) & (3) of the row shall be deleted.

2. In 'C' related to SOUTHERN REGION,

- (1) under **Andhra Pradesh**, at serial number 6, in column (1) & respective entries in columns (2) & (3) of the row shall be deleted.

S GOPALAKRISHNAN, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./348/2022-23]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), *vide* S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and subsequently amended *vide*: -

1. S.O. number 567 (E), dated the 20th February, 2017;
2. S.O. number 1595(E), dated the 15th May, 2017;
3. S.O. number 1965 (E), dated the 20th June, 2017;
4. S.O. number 2316(E), dated the 24th July, 2017;
5. S.O. number 3068 (E) dated the 14th September, 2017;
6. S.O. number 3279 (E) dated the 29th September, 2017;
7. S.O. number 4083 (E) dated the 22nd December, 2017;
8. S.O. number 848(E) dated the 19th February, 2018;
9. S.O. number 1516 (E) dated the 28th March, 2018;
10. S.O. number 2426(E) dated the 13th June, 2018;
11. S.O. number 6207 (E) dated the 12th December, 2018;
12. S.O. number 1377(E) dated the 08th March, 2019;
13. S.O. number 1722 (E) dated the 08th May, 2019;
14. S.O. number 2842 (E) dated the 06th August, 2019;
15. S.O. number 3428 (E) dated the 18th September, 2019;
16. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 13th February, 2020;
17. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 23rd July, 2020;
18. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 04th December, 2020;
19. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 12th January, 2021;
20. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 10th February, 2021;
21. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 10th March, 2021;
22. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 02nd June, 2021;
23. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 25th June, 2021;
24. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 02nd September, 2021;
25. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 08th October, 2021;
26. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 27th October, 2021;
27. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 31st January, 2022;
28. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 24th March, 2022;
29. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 29th April, 2022;
30. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 31st May, 2022;
31. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 7th July, 2022;
32. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 29th July, 2022; and
33. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 13th September, 2022; and
34. F. No. QA-12012/6/2021-RARD-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 11th October, 2022.